न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 01/2020

1. श्रीराम पुत्र नन्दराम जाति गुसाई निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार पुत्र शिवलालगर जाति गुसाई निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. हेतराम पुत्र शिवलालगर जाति गुसाई निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील रावतसर (वर्तमान तहसील पल्लू)।

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः– 15/12/2023

अपीलांट श्रीराम पुत्र नन्दराम जाति गुसाई निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ एंव रामकुमार, हेतराम पुत्रगण शिवलालगर जाति गुसाई निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर द्वारा मातहत अदालत कार्यालय उप तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनाक 30.09.2019 की रूह से 160रू. शास्ति व तीन माह का सिविल कारावास का पारित किया गया, को अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

(क) राजस्व उप तहसीलदार राजस्व पल्लू द्वारा एक निर्णय दिनांक 30.9.2019 को अपीलान्ट को रोही मौजा पल्लू के ख.न. 471 की 1.518 हैक्ट भूमि गौचर की फसल 2076 पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व 160 रूपये शास्ति व तीन गाह के सिविल कारावास का निर्णय दिनांक 30.09.2019 को पारित किया गया, जो निम्न आधारों पर अपील योग्य है व निम्न आधारों पर अपीलकृत आदेश अपास्त करा पाने के अधिकारी है।

15.12.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. रोही मौजा पल्लु में अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसके चिपते हुए राजकीय भूमि है किन्तु अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में जितनी भूमि है उतनी ही भूमि काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट की भूमि पीढ़ियों से सींव बनी हुई है किन्तु हल्का पटवारी ने फर्जी रिपोर्ट करके अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की है, जो विधि विरूद्व है।
2. अपीलान्ट को कभी भी कोई नोटिस नही दिया गया ना भूमि के माप करके बताया गया, ना सुनवाई का अवसर दिया गया, ना कोई नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट रामकुमार एक अपनढ किसान है, उसको हल्का पटवारी द्वारा समाचार भेज कर अंगूठे करवा लिये तथा कहा गया कि उसके द्वारा गलती से तहसीलदार के यहां रिपोर्ट दे दी गयी है। उसकी कार्यवाही समाप्त कर दी है और विश्वास में अंगुठे लगवाये उसे ना तो कोई काश्त बाबत बताया गया ना कोई लिखापढ़ी का सुनवाई गयी और अपीलकृत आदेश पारित करवा दिया, जो अपास्त योग्य है।
3. अपीलान्ट संख्या 1 व 3 को तो कोई नोटिस ही जारी नही किया गया। एक पक्षीय बिना सुनवाई का मौका दिये ही निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है।
4. अपीलान्ट ने कोई भी नाजायज तौर पर गौचर भूमि को काश्त नही किया है। वे अपनी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि, जिसके चारो ओर सींव बनी है। पीढ़ियो से चली आ रही है, काश्त की है फर्जी व रजिंश पूर्वक एक पक्षीय कार्यवाही हल्का पटवारी की फर्जी रिपोर्ट पर की गयी है, अपास्त योग्य है।
5. तीन माह का कारावास की सजा का निर्णय पारित करना जो विधि विरूद्व है क्योंकि यह निर्णय तो पूर्व में किसी को बेदखल किया गया है और बावजुद बेदखली के दुबारा कोई नाजायज काश्त करता हो तो उसके सजा सुनाई जा सकती है जबकि अपीलान्ट को आज तक कभी कोई नाजायज काश्त का नोटिस नही दिया गया है इसलिए विधि विरूद्ध आदेश अपास्त योग्य है।
6. अपीलान्ट ने कोई नाजायज गोचर काश्त नही की है यदि किसी निष्पक्ष अधिकारी से मौका की रिपोर्ट मंगवाई जाती है, तो स्पष्ट हो जायेगी।

(ख) अपीलकृत आदेश दिनांक 30.09.2019 का है जिसका ज्ञान दिनांक 29.12.2019 को हुआ जब हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ तहसीलदार पल्लू ने सजा कर दी है तो तुरन्त नकल दिनांक 30.12.19 को प्राप्त करके अपील पेश कर रहा है इससे पूर्व अपीलान्ट को निर्णय का कोई ज्ञान नही था एवं दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि मातहत अदालत से प्र.सं. 4/19 बअनवान स्टेट बनाम रामकुमार आदि तलब फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 30.09.19 खारिज फरमाया जावे।

15.12.2020
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पल्लू से अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री राजेश कौशिक उपस्थित। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली को गुणवगुण के आधार पर निर्णित करनें बाबत निवेदन किया।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया और पाया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अतिक्रमी मानते हुए यह कार्यवाही की गई थी। परन्तु पटवारी/भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा कहीं भी सीमा ज्ञान नहीं किया गया कि उक्त वर्णित खसरा कहां तक है और क्या वास्तव में अपीलांट अतिक्रमी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधूरी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय कर दिया, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15.12.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

15.12.2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)